see what has happened in some industries. Take, for example, the plantation industry. Tea and rubber plantations threw out more than 50 per cent of the workers in that industry. In jute industry 50 per cent of the workers have been thrown out. At the same time, the industrialists have doubled their income from those industries. In the coir industry and textile industry the workers are being thrown out. My first charge against the Government is that they have not safeguarded the employment position of the workers.

MR. CHAIRMAN: He might continue his speech the next day when this Resolution is taken up. Now, we will take up the Half an Hour Discussion.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति जी, कल इसके कि आधे घंटे की चर्चा शुरू हो, मेरा आपसे एक सब्मिशन है। चूंकि इसका समय अब बढ़ा दिया गया है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे संशोधन को भी अब ले लिया जायेगा।

सभापति महोदय : उसका नियम ऐसा है कि जब सदन में प्रस्ताव आता है उसी समय संशोधन मूव होना चाहिए।

श्री शिव चन्द्र झा : चूंकि अब समय बढ़ाया गया है इसलिए यह अब हो सकता है।

सभापति महोदय : जी नहीं।

18.56 Hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

AMENDMENT OF CONVENTION OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the half an hour discussion.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा को उठाने की अनुमति दी। सबसे पहले मेरा जो मूल प्रश्न था उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं ताकि चौधरी साहब जैसे सदस्य उसका कम से कम अर्थ तो लगा सकें। यह अतारांकित प्रश्न संख्या 4371, दिनांक 21 अगस्त, 1969 इस प्रकार से है :

"(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष आवेदकों अथवा जो रोजगार कार्यालय के द्वारा रोजगार ढूंढते हैं उनके लिए यह अनिवार्य करने का है कि वे अपनी अर्हताओं तथा जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त राजस्व विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी से अपने अभिभावकों की मासिक अथवा वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें,

(ख) क्या सरकार का विचार भर्ती के मामलों में उन प्रार्थियों को प्राथमिकता देने का भी है जिनके अभिभावक न्यूनतम आय वर्ग के हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किये जायेंगे ?"

श्री भागवत झा आजाद ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित रूप में दिया :

"(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) रोजगार कार्यालय उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर तथा पद की अपेक्षाओं के अनुसार भावी नियोजकों के पास भेजते हैं।"

इस सम्बन्ध में मैं ने जो दूसरा प्रश्न संख्या 718 (दिनांक 21 नवम्बर, 1969) दिया और उसका जो उत्तर आया वह इस प्रकार से है :

"(क) क्या सभी प्रकार के पदों के लिए रोजगार दफ्तरों द्वारा रोजगार प्राप्त करने वालों से अर्हतायें और जातियां दिखाने वाले प्रमाण-पत्रों सहित आय प्रमाण-पत्र की शर्तें और निम्न आय वाले वर्गों को प्राथमिकता देना समाजवादी ढांचे के समाज के विरुद्ध होगा, और

[श्री मौलहु प्रसाद]

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं तो क्या समाजवादी ढांचे के समाज की नीति को छोड़ने का प्रस्ताव है ?

(श्री भागवत झा आझाद) : (क) और (ख) यह सुझाव व्यावहारिक नहीं होगा और सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अनुक्रमांक सं० 88 की भावना से मेल नहीं खाता। रोजगार कार्यालयों द्वारा उम्मीदवारों का नियोजकों को सम्प्रेषण अर्हताओं और कुशलताओं के बारे में नियोजकों की आवश्यकताओं के अनुरुप ही करना पड़ेगा।''

अब जो तीसरा प्रश्न पूछा गया, प्र० सं० 716, 26 फरवरी, 1970 को वह इस प्रकार से है :

''(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार इस सुझाव को व्यावहारिक रूप देने की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कम आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाये, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 88 के उद्देश्यों में संशोधन करने के बारे में पहल करने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?"

श्री भागवत झा आजाद ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार से है :

''(क) जी नहीं ।

(ख) उम्मीदवारों को नियोजकों द्वारा निर्धारित योग्यताओं तथा उनकी कार्य-क्षमताओं के आधार पर भेजा जाता है ।''

अब जिस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 88 का सवाल है, वैसे तो वह कापी अंग्रेज़ी में है लेकिन कार्यालय की मदद से मैं उसका अनुवाद सुना रहा हूं :

"(घ) बेरोजगारी बीमा और सहायता तथा बेरोजगारों की सहायता के अन्य उपायों में सहयोग, और

(ङ) सरकार तथा गैर सरकारी निकायों को रोज़गार के अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किये गये सामाजिक तथा आर्थिक आयोजन में आवश्यकतानुसार सहायता ।"

तो जिस अभिसमय संख्या का मैंने हवाला ऊपर दिया है, उस धारा उस संस्था के विपरीत मेरा सुझाव नहीं जाता है। तो वह हम से ज्यादा इसका अर्थ समझते होंगे। आर्थिक, सामाजिक दोनों मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संख्यायें इस के लिये बाधक नहीं बन सकतीं। यह संख्या दुनिया के इतिहास में 1918 में प्रथम महायुद्ध के पूर्व ही इस का जन्म हुआ। पचास साल इस को हो गये। इस धारा पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कई बार इस के सम्बन्ध में बैठक भी हुई है।

19 Hrs.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अब तक हुए 52 अधिवेशनों में 128 अभिसमय तथा 131 सिफारिशें स्वीकार कीं। इन में से भारत 29 अभिसमयों की पुष्टि कर चुका है। औपचारिक पुष्टिकरण के अतिरिक्त अन्य अनेक अभिसमयों तथा सिफारिशों की मुख्य व्यवस्थाओं को यथासम्भव कार्यान्वित किया जा रहा है।

जून 1968 में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 52वें अधिवेश में भारत के एक त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलों / विशेषज्ञों ने सूती वस्त्र समिति के आठवें अधिवेशन, कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य खानों पर दूसरी त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक अध्यापकों के स्तर के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संगठन की संयुक्त बैठक व्यव-

साय पूर्व प्रशिक्षण योजनाओं के कार्यक्रम तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की बैठक मजदूरी तथा कर्मचारियों की आय के आंकड़ों से सम्बन्धित विशेषज्ञों की बैठक तथा अन्तर्देशीय परिवहन उद्योग में कार्य की स्थिति पर हुई बैठक में भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की संचालन समिति की 1968 में तीन बार बैठक हुई। इन बैठकों में भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का छठा एशियाई क्षेत्रीय अधिवेशन टोक्यों में 2 सितम्बर से 13 सितम्बर, 1968 तक हुआ।

एशिया के श्रम मन्त्रियों की बैठक नई दिल्ली में 28 जनवरी से 31 जनवरी, 1969 तक हुई। भारत को मिला कर चौदह एशियाई देशों ने इस में भाग लिया।

50 वर्ष के इतिहास में इस धारा पर पता नहीं हमारे देश के नीति निर्धारकों का, या विदेश नीति निर्धारक लोगों का ध्यान गया कि नहीं। मेरी चर्चा का तात्पर्य मान्यवर, यह है कि आज नतीजा यह है कि गांवों में एक व्यावहारिक भाषा बन गई है कि आज नौकरी की योग्यता है सोर्स, एडवांस। यानी रिश्वत, रिश्तेदार। आज यही योग्यता बन गई है और जिनकी आर्थिक स्थिति आजादी से पूर्व थोड़ी अच्छी थी, जैसे दाल, भात और सबजी के ऊपर जरा सा मक्खन मिल जाता था, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सही माने में जो आजादी के पूर्व भी दरिद्र थे और अंग्रेज़ों के जमाने में जिस तरह से त्रसित थे, उन के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया। यहां समाजवाद, और तमाम वाद के सम्बन्ध में चर्चा चलती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाय तो गरीब लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि उन की हालत दिन व दिन गिरती ही जा रही है।

मैंने एक शीशा दिल्ली के सुपर मार्केट में देखा है जिस में एक तरफ़ से बड़ा चेहरा दिखाई देता है और दूसरी तरफ़ छोटा चेहरा दिखाई देता है। इसी तरह से कांग्रेस का चेहरा भी इधर से देखिये तो समाजवादी दिखाई देता है, उधर से देखिये तो पूंजीवादी दिखाई देता है, साम्यवाद, प्रतिक्रियावाद और पाखन्डवाद, इसी का चारों तरफ़ बोलबाला है। करना धरना कुछ नहीं। इस प्रकार की नीतियों से तो आपकी नीति का जनाजा निकल गया है और कार्यक्रम का कबरस्तान बन गया है। इस में किसी नीति का निर्देश नहीं दिखाई देता है। इस देश में गरीबों के हित में कोई कानून अव्वल तो बनता नहीं, और बनता भी है तो उस पर अमल नहीं होता। कारण साफ़ है कि जो अमल करने वाले हैं उन का आप की नीतियों में विश्वास नहीं है। 19 सितम्बर की जब हड़ताल हुई तो यहां पार्लियामेंट के काफ़ी सदस्यों ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार को इन बातों को नहीं उठाना चाहिये, और उन को गांवों के श्रमिकों की समस्या का हल देखना चाहिये। लेकिन 22 वर्ष की आजादी के बाद भी उन का स्तर ऊंचा करने के बारे में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में लागू हुआ लेकिन 1956 में यह अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया। क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि खेत मजदूर और खेत मालिक के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद हो तो उस का निराकरण करने के लिये क्या भारत के किसी जिले में, सूबे में या जिले के किसी भी कोने में कोई अधिकारी नियुक्त किया है जो खेत मजदूर और खेत मालिक के बीच हुए विवाद के बारे में अपना निर्णय दे सके? क्या उस के लिये एक भी अधिकारी किसी सूबे में नियुक्त हुआ है। परिणाम यह है कि मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती है। आज नतीजा यह है कि खेत मजदूर और खेत मालिक के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय अभी तक कोई अपना दृष्टिकोण नहीं प्रकट कर सका न उन के लिये कोई कानून बना सका।

[श्री मौलहू प्रसाद]

22 साल की आजादी के बाद भी आज खेतिहर मजदूरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वहां आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिन में फसल के समय मजदूरों को एक रुपये मजदूरी मिलती है और जब फसल का समय नहीं रहता, तो पचास पैसे और पिछत्तर पैसे मजदूरी के मिलते हैं। 22 साल की आजादी के बाद भी आज उनके लड़के न्यूनतम शिक्षा यानी प्रारम्भिक शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए यह जितनी भी आप की योजनाएं बनती हैं, उनमें मुट्ठी भर लोगों को ही फायदा होता है, जैसे आपका समाज कल्याण विभाग बना हुआ है, इससे बहुत थोड़े लोगों को फायदा हुआ है। आजादी के पहले जो खेती से अलग थे और अनुसूचित जातियों और आदम जातियों के जो लोग खेती पर आधारित नहीं थे बल्कि दूसरे पेशों पर आधारित थे, उनके लड़के ही थोड़े बहुत इनेगिने पढ़े हुए आ रहे हैं, नाम-मात्र के लिए ही वे आगे बढ़े हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि कम से कम यह जो हमारा प्रश्न है, श्रम मंत्रालय जरा इस पर विचार करे और इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक नीति निर्धारित करे, नहीं तो नक्सलवाद का हल्ला करने से या अखबारवालों के रोज अखबार छापने से समस्या का हल नहीं हुआ करता है। पलटन और पुलिस के बल पर ही केवल राज्य नहीं किया जाता है, जनता का विश्वास भी हासिल करना आवश्यक होता है।

अभी अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी यहां दलीलें दी जाती हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, सूटेबिल केन्डीडेट्स नहीं मिलते हैं। सभापति महोदय, क्या मैं यह मान लूं कि हरिजन जातियों के लोग खेती के लिए भी सूटेबिल नहीं है? अगर योग्यता के आधार पर ही पेशे का बटवारा होना चाहिए, तो जो लोग स्वयं खेती नहीं करते हैं, उनको खेती का अधिकार क्यों है? योग्यता के आधार पर अगर पेशों का बंटवारा होना है तो जो स्वयं खेती करता है, उस के हाथ में खेती जानी चाहिए। उस में योग्यता वाली बात आ सकती है ना? क्या भारत सरकार इस पर निर्णय देगी या मंत्री जी, हो सकता है अपने जवाब में उ र दें कि इस योग्यता का क्या उत्तर हो सकता है।

जहां तक अनुसूचित जातियों को संरक्षण देने की बात है, अगर वे कम्पीटीशन में आ जाएंगे या योग्यता के आधार पर आ जाएंगे, तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर रिजर्वेशन देना है, तो न्यूनतम योग्यता मान लेनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से 22 वर्ष से नाटक चल रहा है जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। रोजगार दफ्तरों में आज उन को ही रोजगार मिल रहा है, जिनके पास खती है या नौकरी है या दूसरा और कोई धन्धा है। रोजगार उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास रिश्वत है और जिनके पास रिश्तेदारी है।

इन्दिरा गांधी जी जब बम्बई में गई, तो हमने अखबार में पढ़ा और बम्बई में यह नारा लगा कि "इन्दिरा जी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं"। तो हमने कहा कि देखें कि हिन्दुस्तान के गरीबों का चेहरा इस रोशनी में चमक रहा है या नहीं। हमने देखा कि यह रोशनी झोंपड़ी में नहीं आई है, वहां न हवा है और न रोशनी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि श्रम मंत्रालय इस पर विचार करे और कुछ नीति निर्धारित करे और कम से कम राज्य के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाये और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करवाए और इस तरीके से खेतिहर मजदूरों और मालिकों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनके लिए कोई अधिकारी राजपत्रित स्तर का, जिला स्तर का कोई कर्मचारी नियुक्त करे जोकि खेतिहार मजदूरों और मालिकों के बीच में जो झगड़े हैं, उन का कारगर ढंग से निर्णय करे और जो उनके आपस में सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं उनका उपाय ढूंढे। वरना नक्सलवादियों का जिस तरह से घेराव होता है, वह यहां भी न हो जाए। अब

तो सुनने में आया है कि दिल्ली में भी घेराव हो रहा है। वहां मान लीजिए कि मार्क्सिस्ट पार्टी है, लेकिन यहां तो जनसंघ पार्टी है : यहां भी घेराव हो रहा है। जहां असंतोष होगा, वहां कुछ न कुछ घेराव तो होगा ही और इसे रोका नहीं जा सकता अगर समस्या का सही समाधान नहीं ढूंढा गया।

आपने जो मुझे चर्चा का समय दिया है इस सम्बन्ध में, मैं आप को धन्यवाद देते हुए श्रम मंत्री से चाहूंगा कि वे अपना दृष्टिकोण प्रगट करें।

सभापति महोदय : दि आनरेबिल मिनिस्टर।

श्री शिव चन्द्र झा : पहले मैं सवाल पूछ लूं ?

सभापति महोदय : सवाल बाद में। मैं ने जो नियम है वे पढ़ लिये हैं। आप सवाल बाद में पूछ लें।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : सभापति महोदय, प्रश्न तीन जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है, उसका सम्बन्ध पूर्णतया सिर्फ एक विषय से है। वह यह है कि आज रोजगार दफ्तरों में जो आवेदकों के आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं, उस का आधार जो अभी है वह हो या उस आधार को बदल कर उस में आय की परिभाषा जोड़ दी जाए। अस्तु माननीय सदस्य ने जिन और प्रश्नों का हवाला दिया है, मैं उन में अभी नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी इस चर्चा को उठाते हुए कहा है कि बार बार प्रश्न किया जाने के बावजूद भी जान बूझ कर उन का उत्तर देने में हम असफल रहे हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि थोड़ी आमदनी वाले वर्ग पर साधनहीन युवकों में निराशा और असन्तोष है। तीसरे नवयुग व नवीन वातावरण में नये सिद्धान्तों की अवज्ञा की गई है।

श्री मोलहू प्रसाद : 22 साल की आजादी के बाद भी लोग अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं, यह आप ने क्यों छोड़ दिया ?

श्री भागवत झा आजाद : उस में इतना ही मेरे पास आया है। आप ने लिखा होगा सम्भवतः वह कट गया होगा। आप अगर प्रश्न सं० 716 और इस प्रश्न के उत्तर को देखें तो उस से प्रकट होगा कि उन्होंने जिस बात की ओर इशारा किया है वह सही नहीं है क्योंकि प्रश्नों के हमारे उत्तर बड़े स्पष्ट और सुनश्चित थे। मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि उन के प्रश्नों के उत्तर को टाला जाय क्योंकि राष्ट्रीय नियोजन सेवा की नियम पुस्तक में नियोजकों के पास उम्मीदवारों को भेजने के बारे में सिद्धान्त बड़े स्पष्ट हैं और मैं ने उस का उल्लेख उन में किया है। वह सिद्धान्त यह हैं :

> "सम्प्रेषण के लिये चुनाव का आधार नियोजक द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अन्तर्गत उम्मीदवारों की अपनी योग्यता व उपादेयता मानी जानी चाहिये।"

इसलिये हम ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस के आधार पर यह कहा जाय कि हम ने उत्तर टालने का प्रयास किया है।

इस सम्बन्ध में हमारे राष्ट्रीय नियोजन सेवा नियमों में बड़ा स्पष्ट लिखा है और उस के अन्तर्गत ही आज हम बिना किसी प्रभाव के, जिस के लिये उन्होंने कहा है कि आज चुनाव दफ्तर के प्रभाव पर, सम्बन्ध पर और तरह से किया जाता है, चुनाव करते हैं। मैं कहूंगा कि सम्प्रेषण के लिये जो चुनाव होते हैं, आवेदकों के आवेदन पत्र भेजने के जो चुनाव होते हैं वह बिना किसी प्रभाव के और बिना किसी लिहाज के होने चाहियें जिस से नियोजन सेवा के निष्पक्षता तथा समदृष्टि बनाये रखने के अपने निश्चय को आंच न आये। चूंकि नियोजन कार्यालयों की नीतियां और उस की प्रक्रियायें राज्य सरकारों से सलाह कर के भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हम ने इन आवेदकों के आवेदनपत्रों का सम्प्रेषण करने के जो सिद्धान्त बनाये हैं वह सिद्धान्त चूंकि राज्य सरकारों

[श्री भागवत झा आजाद]

की सम्मति से और उन से विचार-विमर्श कर के बनाये हैं इस लिये हमारी यह नीति और प्रक्रियायें उस के साथ पूर्णत: मेल खाती हैं। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान संविधान की धारा 16 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस में यह कहा गया है कि :

(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर सेवा-योजन और नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।

(2) धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इन में से किसी एक आधार पर ही किसी भी राज्यकीय नियुक्ति अथवा किसी पद के लिए कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और न कोई भेदभाव बर्ता जायगा।

अस्तु न केवल हम ने अपनी प्रक्रियायें और अपने सिद्धान्त राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर के बनाये हैं बल्कि स्वयम् यह सिद्धान्त संविधान की इन 16 वीं धारा पर निर्भर करते हैं। इस में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जिन का मैंने उल्लेख किया है। तीसरी चीज है अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन अभिसमय सं. 88 यह क्या है ? अभिसमय 88, जिस को हमारी सरकार ने माना है कहना है कि :

"नियोजन सेवा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिस से प्रभावपूर्ण भरती व नियुक्ति सहायता संभव हो सके। इसके लिए उपयुक्त योग्यता और शारीरिक क्षमता वाले उपलब्ध उन उम्मीदवारों का सम्प्रेषण किया जाना चाहिए जो नियुक्ति सहायता चाहते हों।"

अस्तु यहां पर भी अन्य बातों की अपेक्षा उम्मीदवार की उपयुक्तता पर ही बल दिया गया है।

संविधान की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 88 की सम्पुष्टि की गई है और नियोजन सेवा की सम्प्रेषण नीति को मान्यता दी गई है। प्रश्न संख्या, जिन का उन्होंने उल्लेख किया, 4371 या 718 व 716 के जो उत्तर मैं ने माननीय सदस्य को दिये हैं वह बड़े सुनिश्चित हैं, बड़े स्पष्ट हैं और असंदिग्ध भाषा में दिये गये हैं। अस्तु उन का यह आरोप कि जिन पर यह प्रश्न किया गया था वह असंदिग्ध हैं, सही नहीं है। यह विधान पर आधारित हैं, अभिसमय सं० 88 पर आधारित हैं और यह उन प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों पर आधारित है जिन का निश्चय हम ने विभिन्न राज्य सरकारों की सलाह से किया है। इस बात को मानना चाहिये कि हम आज जिन को अपने इस रोजगार दफ्तरों की सेवा दे रहे हैं वह किस प्रकार की है। वह नियोजकों और नियुक्ति चाहने वालों के बीच नि:शुल्क है, स्वैच्छिक है और राष्ट्रीय नियोजन सेवा निष्पक्ष सेवा उपलब्ध कराती है। आज अगर हम इस आधार को बदल दें और उसका आधार सिर्फ आय कर लें और वह भी एक अमुक आय वाले व्यक्तियों के लिए तो निश्चय ही नियोजन सेवा के सिद्धान्तों की जड़ पर आघात पड़ेगा और नियोजकों और नौकरी चाहने वालों के बीच में नि:शुल्क और स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने की जो बात है, उसको भी यह काटेगा। अगर माननीय सदस्य के इस आधार को मान लिया जाए तो संविधान की धारा 16, अभिसमय संख्या 88 और हमारी सारी जो प्रक्रियायें हैं वे समाप्त हो जायेंगी।

श्री मोलहू प्रसाद : आप घ और ङ को देखें। वे कहते हैं

(घ) बेरोजगारी बीमा और सहायता तथा बेरोजगार की सहायता के अन्य उपायों में सहयोग : और

(ङ) सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों को रोजगार के अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किये गये सामाजिक तथा आर्थिक आयोजन में आवश्यकतानुसार सहायता करेगी ये दोनों इस में हैं।

श्री भागवत झा आजाद : आप इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं। प्रश्न यह है कि आज रोजगार के इन दफ्तरों में जो व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके आवेदनों के संप्रेषण की नीति क्या हो ? जैसा मैंने कहा है संविधान कहता है कि इस सम्बन्ध में हम कोई भेदभाव नहीं बरत सकते हैं। हमारा आधार और उनकी योग्यता, उपयोगिता और उपादेयता पर है। आप चाहते हैं कि इन आधारों को बदल कर केवल एक आधार . . .

श्री मोलहू प्रसाद : साथ साथ आय का आधार चाहते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं तर्क रख सकता हूं, बुद्धि मैं कहां से दे सकता हूं। योग्यता, उपादेयता आदि की कसौटियों को यदि आय के आधार से बदल दिया जाए तो इससे संविधान का हनन होगा।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। निश्चय ही इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। हम चाहते हैं कि देश को औद्योगिक प्रगति में जो काम चाहने वाले व्यक्ति हैं उनमें हम किसी और कारण से किसी प्रकार का भेदभाव न करें। यह बहुत कठिन बात है कि उनके सुझाव को, हम मान लें। हम यही चाहते हैं कि योग्यता, उपयोगिता और उपादेयता के आधार पर उनका चयन किया जाए और इसी आधार पर, हम कर भी रहे हैं। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने इस विवाद को इसलिए उठाया है कि उनके अन्दर इस बात के लिए आकुलता है और यह उनके इस आग्रह का प्रतीक है कि वे समाज के पिछड़े वर्ग जिन की आय बहुत कम है, उनको विशेष स्थान दिलाना चाहते हैं। उन के इस विचार का मैं पूर्णत: समर्थन करता हूं, इस में मैं उन से सहमत भी हूं। लेकिन उसका हम इस रूप में निराकरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस रूप में निराकरण कर दें तो हम संविधान, अभिसमय 88 और हमारी जो प्रक्रियायें हैं उनका हनन करेंगे। इस विचार का समर्थन करते हुए भी हम यह चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और रोजगार के साधन बढ़ें। इस विषय में सरकार द्वारा हर सम्भव कार्रवाई की जा रही है। हमने चौथी योजना का पुनर्निर्माण किया है। अब उस योजना में हमने इसका खास खयाल रखा है। चौथी योजना के प्रारूप में सड़कें, सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्रामों में बिजली पहुंचाना, ग्रामीण, व लघु उद्योग, आवास व शहरी विकास आदि की श्रम प्रधान योजनाओं पर अधिक बल दिया गया है। इन तमाम चिजों को जब बल मिलेगा तो माननीय सदस्य जिस ओर इशारा कर रहे हैं उनको भी सहायता मिलेगी। निश्चय ही सरकार का यह उद्देश्य है कि समाज के उस वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विशेष अवसर दिया जाये, जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। वे विशेष अवसर उन उपायों से उपलब्ध किये जा सकते हैं, जिन का अभी मैं ने उल्लेख किया है न कि नियोजकों के पास आवेदकों के सम्प्रेषण करने के आधार और सिद्धान्त में परिवर्तन कर के। सरकार राजकीय नियुक्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहती है।

सभापति महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से माननीय सदस्य के प्रश्नों के उत्तर सुनिश्चित, स्पष्ट और असंदिग्ध रूप में दे दिये गये हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): सभापति महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उस ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ख़राब है, वह उन का विशेष ध्यान रखेगी। शायद मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि जब कोई सरकारी या प्राइवेट फैक्टरी लगाई जाती है, तो सौ डेढ़ सौ गांव उठा दिये जाते हैं, किसानों के खेत छीने जाते हैं, उन के घर उजाड़े जाते हैं। उन लोगों को आशा होती

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

है कि उन को फ़ैक्टरी में काम मिलेगा। लेकिन जब वह फ़ैक्टरी बनकर तैयार हो जाती है तो उस जगह के किसी आदमी को नहीं रखा जाता है, बल्कि योग्यता की आड़ ले कर बाहर के आदमियों को भर्ती कर लिया जाता है। जिन ग़रीब आदमियों को वह फ़ैक्टरी बनाने के लिए उजाड़ दिया गया, जिन के घर और ज़मीन छीन लिये गये, अब वे बेचारे क्या करें ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि लोगों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जायेगा और किसी प्रकार का भेद-भाव या अन्याय नहीं किया जायेगा। यह ठीक है लेकिन मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज का एक अंग, एक वर्ग गला-सड़ा रह गया, ग़रीब रह गया, तो वह समाज और देश के लिए बड़ा ख़तरा बन जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी उद्योग या प्राइवेट उद्योग खड़े किये जाने के कारण बेघर हो गये हैं, जिन की आर्थिक स्थिति ख़राब है, जिन के पास मकान नहीं हैं, जो भूमिहीन हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से उतने योग्य न हों, लेकिन जो शारीरिक दृष्टि से दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं, क्या उन लोगों को नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की नीति में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जायेगा; यदि हां, तो किस रूप में।

श्री रबि राय (पुरी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री मोलहू प्रसाद, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह सवाल उठाया। श्री भागवत झा आजाद ने जिस तरीके से इस चर्चा का जवाब दिया है, उस से लगता है कि वह माननीय सदस्य के अभिप्राय को ठीक ढंग से समझ नहीं पाये हैं। उन्होंने अपने जवाब में दो तरह के विचार प्रकट किये हैं। एक ओर तो उन्होंने माननीय सदस्य के योग्यता के मानदंड में परिवर्तन करने के सुझाव को नहीं माना है और दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि सरकार पिछड़े हुए लोगों को विशेष अवसर देगी। श्री आज़ाद खुद मानते हैं कि हरिजन, आदिवासी वग़ैरह जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन को ठीक ढंग से रोज़गार या नौकरी नहीं मिलता है। यह साफ़ है कि अगर सरकार नौकरी देने के बारे में सिर्फ़ योग्यता का आधार रखेगी, तो देश के पिछड़े हुए वर्गों को, हरिजनों, आदिवासियों, औरतों और शूद्र जाति के लोगों को व्यापक रूप से नौकरी नहीं मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अगर संविधान का अनुच्छेद 17 इन पिछड़े हुए वर्गों को नौकरी दिलाने के मार्ग में बाधक साबित होता है, तो क्या वह विशेष अवसर के सिद्धांत कों मान कर हज़ारों बरसों से पिछड़े हुए इन लोगों को नौकरी और रोज़गार के विशेष अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करेंगे।

क्या मंत्रीमहोदय सरकार की ओर से बतायेंगे कि श्री राम सेवक यादव की ओर से इस को बदलने के लिये जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है, उस को मानेंगे ?

दूसरा प्रश्न—इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनिजेशन की जो 88 धारा है, जिस का हवाला अभी दिया गया है और उस के संविधान में परिवर्तन की जो बात कही गई है, उस को दृष्टि में रखते हुए क्या मंत्री महोदय आइ० एल० ओ० में जो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, उन को हिदायत दगे कि वे 88 धारा में परिवर्तन करने के लिये अगले आई० एल० ओ० सम्मेलन में संशोधन रखेंगे ?

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, इस में मधु जी की बात भी रह जायगी—

जिन की माली हालत खराब है, उन को प्राथमिकता मिले—और मेरी बात भी रह जायगी—जिसकी आज के ज़माने में ज़रूरत है, यदि संविधान की धारा 16 में आप "राइट टू वर्क" का संशोधन मान लें। समाजवादी समाज में इस की ज़रूरत है। "राइट टु वर्क" मान लेने से समाज में फुल-एम्प्लायमेन्ट होगा—इस तरह से दोनों बातें रह जायंगी। इस के मुताल्लिक मेरा संशोधन विधेयक भी है।

यदि यह नहीं हो सकता है तो सरकार दूसरा कदम उठाये, उस में भी दोनों की बातें रह जायेंगी। लोकनाथन कमेटी ने सुझाव दिया है—सरकार कम से कम 100 दिन की "जीव-गारन्टी" देश में दे। यदि यह भी नहीं हो सकता है तो तीसरे सुझाव को मान लें—जय प्रकाश कमेटी ने रिकमेण्ड किया है कि ट्राइबल एरियाज में फुल-एम्पलाइमेंट की नीति सरकार अभी भी अख्तियार कर सकता है। यदि सरकार ऐसा करती है तो इस में इन की बात भी रह जायगी और उन की बात भी रह जायगी। क्या सरकार ये तीनों बातें करने जा रही है ?

श्री भागवत झा आज़ाद : सभापति महोदय, श्री रवी राय जी को मेरे जवाब में दो तरह का रूप मालूम हुआ। कठिनाई यह है कि रवी राय जी या मोल्हू प्रसाद जी को हम लोगों की हर बात में बराबर कोई न कोई रूप मालूम पड़ता है। मोल्हू प्रसाद जी सुपर बाज़ार में गये, वहां उन्होंने आइना देखा, उस आइने में उन्होंने अपनी सूरत देखी, उस सूरत को उन्होंने हमारी सूरत मान ली—अब कहिये, इस के लिये क्या करें? दुख यह है कि वह अपने ही अनुभव और अपनी ही सूरत से बोलते हैं...

सभापति महोदय : अब तो आप त्यागी जी का और उन का उत्तर दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : रवी राय जी ने भी यही कहा है, इस लिये दोनों का उत्तर दे रहा हूं।

मैंने यह कहा है कि इस विवाद का मुख्य आधार यह है कि हम सम्प्रेषण की नीति में क्या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात जो नीति इस समय है—योग्यता और उपादेयता के आधार पर उन के आवेदन भेजे जाते हैं। हम ने यह कहा है यह नीति अभी सही है, दुरुस्त है और संविधान के अनुसार है और अभिसमय संख्या 88 के अनुसार भी है। लेकिन जब मैंने उन से सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहा और मैं हृदय से यह मानता भी हूं कि इन की योग्यता के साथ साथ यह आवश्यक है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो हमारा कमजोर भाग है, उस की विशष सहायता की जाय, तो मैंने उस के लिये यह कहा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यानी अपनी योजनाओं के ज़रिये हम उस कमी को जो कि इस में सम्प्रेषण में हैं उस को पूरा कर सकते हैं।

श्री रवि राय : पहली पंचवर्षीय योजना का प्रियेम्बल देखेंगे तो वहां भी वही था, लेकिन हुआ नहीं।

श्री भागवत झा आज़ाद : अब मैं सभी योजनाओं में कितनी सफलता या असफलता हुई है सब का उत्तर तो नहीं दे सकता हूं। मैं तो बिलकुल निर्दिष्ट रूप से इस विवाद का उत्तर दे सकता हूं और वह यह है कि हम इस का आधार बदल कर अगर यह करना चाहें तो जो अभी हमारे रोजगार दफ्तरों में नियोजकों और नौकरी चाहने वालों के बीच में जो प्रश्न है—निःशुल्क और स्वैच्छिक सेवा का—उस का आधार ही टूट जायगा, अस्तु हम इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं। हम समझते हैं कि कमजोर व्यक्ति या समाज के कमजोर भाग को नौकरी देने का या उस को ऊंचा उठाने का तरीका यह है कि अपनी योजनाओं के द्वारा अपनी वित्तीय मीति के द्वारा, उन को बढ़ा सकते हैं।

जहां तक हमारे मित्र त्यागी जी ने कहा—स्थानीय व्यक्तियों की बात—मैं उन को कहूंगा

[श्री भागवत झा आजाद]

कि उन के लिये भी उपाय यही है कि हम उन को रोज़गार दिलाने के लिये इन की योग्यता सम्प्रेषण की नीति में परिवर्तन कर के नहीं, बल्कि और तरह से कर सकते हैं।

हमारा दोनों प्रश्नों का जवाब यही है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं ने पूछा था....

श्री भागवत झा आजाद : मेरी मजबूरी है। मैं ने उत्तर दे दिया है।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

19.31 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 6, 1970/*Chaitra* 16, 1892 (*Saka*).

GIPN—S5—2 Lok Sabha/70—3-8-70— 1010.